न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/15

प्रार्थीगणः–

1. जोगाराम पुत्र तुलसाराम
2. कुपाराम पुत्र तुलसाराम
   जातिगण मेघवाल निवासीगण लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. शेषकरण पुत्र भवानीसिंह जाति चारण निवासी साकड़ावास तहसील पाली जिला पाली
2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लाम्बिया पंचायत समिति पाली तहसील पाली जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 31/12/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा मिसल संख्या 21/2007–08, संकल्प संख्या 03 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 7311 दिनांक 03.02.2008 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण का रहवासीय बाड़ा एवं घर मौजा साकड़ावास के खसरा संख्या 91/2 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैरमुमकिन बाड़ा में स्थित है, जिसमें फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये प्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि के पड़ौस के खसरा संख्या 91/3 स्थित पर जिस पर रामलाल नाई का मकान व बाड़ा स्थित है, जिसका उपयोग उपभोग वर्तमान में इनके पुत्रों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को सम्मिलित करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने न तो कोई आपत्ति नोटिस जारी किया, न ही पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना की है। ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से पंचायती की आबाद भूमि से परे जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य आपत्ति खसरा संख्या 91/2 के सम्बन्ध में है जबकि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 59 में जारी किया हुआ है, जो कि आबादी भूमि है। साथ ही प्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

स्वयं यह कह रहे है कि खसरा संख्या 91/3 सिवायचक है। ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है एवं उक्त आराजी पर अन्य लोगों के भी मकान बने हुये है। उक्त पट्टा आबादी भूमि के अन्यत्र जारी किया गया हो, ऐसे कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किये है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा मिसल संख्या 21/2007–08, संकल्प संख्या 03 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 7311 दिनांक 03.02.2008 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने आबाद भूमि से भिन्न खातेदारी भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी है। उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने कथनों के समर्थन में जमाबन्दी, नक्शा एवं फोटोग्राफ्स पेश किये तथापि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी एवं नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टा किसी विशिष्ट खसरा संख्या में जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में ऐसी कोई प्रमाणित रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सुस्पष्ट रूप से सिद्ध हो सके कि प्रश्नगत पट्टा आबादी भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जारी किया गया है। मात्र जमाबन्दी के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उक्त पट्टा आबादी क्षेत्र से भिन्न भूमि पर जारी किया गया हों। साथ ही उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स परस्पर विरोधाभासी होने के कारण उनसे किसी निश्चित तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुॅचना सम्भव नहीं है। अतः उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्थापित नहीं होता कि प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि से भिन्न किसी अन्य भूमि पर जारी किया गया है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता की उक्त प्रार्थना पत्र आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.02.2008, जो कि प्रथम आदेशिका थी, के द्वारा सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु प्रकरण सचिव द्वारा प्रस्तुत नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही नक्शा बनाने की कोई दिनांक अंकित है। मिसल की आदेशिका दिनांक 05.03.2008 के द्वारा तीन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पंचों को भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल एक गवाह के हस्ताक्षर है और उसकी भी वल्दियती अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 05.07.2008 प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार जैर निगरानी मिसल संख्या 21/07–08 में आपत्ति नोटिस की म्याद पूर्ण हो चुकी है और कब्जा सबूत हेतु गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु यही तथ्य उक्त मिसल संख्या 21/07–08 की आदेशिका दिनांक 30.07.2008 में अंकित है अर्थात् प्रश्नगत मिसल में बैठक कार्यवाही दिनांक 05.07.2008 के प्रस्ताव का अंकन उस दिनांक को न होकर किसी अन्य दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

30.07.2008 को किया गया है, साथ ही प्रकरण में आश्चर्यजनक तथ्य यह भी प्रकट होता है कि दिनांक 30.07.2008 को ग्राम पंचायत में कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई तो मिसल में उक्त दिनांक को किसी प्रस्ताव का अंकन कैसे हो सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एंव उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा मिसल संख्या 21/2007–08, संकल्प संख्या 03 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 7311 दिनांक 03.02.2008 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली